कोविड-19 और घरेलू हिंसा

नीरज कुमार राय

सहायक प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

राजकीय महिला महाविद्यालय, ढिंढुई ,पट्टी (प्रतापगढ़)

सारांश : घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या हैं . महिलाओं को विविध रूपों मे प्रताड़ित किया जाता हैं. कोरोना काल मे घरेलू हिंसा ने काफी जोर पकड़ा हैं जिसका कारण प्रमुखतः पुरुषों का कोरोना के दौरान अधिकतर घर पर रहना हैं. तनाव और भय के माहौल ने हिंसा को प्रोत्साहित किया हैं. प्रस्तुत शोध पत्र मे विविध पक्षों का विश्लेषण किया गया हैं और यह द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं. प्रस्तुत शोध कोविड-19 और घरेलू हिंसा का विश्लेषण हैं.

मुख्य शब्द - कोरोनावायरस,लॉकडाउन,घरेलू हिंसा,घरेलू दुर्व्यवहार,ट्रैफिकिंग

जैसे-जैसे दुनिया भर की सरकारें कोरोनावायरस को कम करने के लिए विभिन्न तीव्रता से लॉकडाउन लागू कर रहे हैं, और इससे भारत सहित कई देशों में घरेलू हिंसा की अचानक बड़ा उछाल आया है. घरेलू हिंसा पीड़ितों की स्थिति को बिगाड़ सकता है और साथ ही नए पीड़ित भी पैदा कर सकता है. 24 मार्च 2020 की रात को, तीन सप्ताह के लिए देश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने रामायण से लक्ष्मणरेखा का उदाहरण देते हुए इसके और घर की सीमा के बीच की समानताओं का उल्लेख किया. हम में से बहुत से लोग तुरंत इन प्रतिबंधों के कारण हमारे सामान्य जीवन और कार्य में आने वाले व्यवधानों के बारे में विचार करने लगे. इस महामारी के बारे में नए सिरे से सोचने तथा खुद की रक्षा करने के संबंध में भी चिंता प्रकट हुई. अत्यधिक संक्रामक कोरोनावायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या कोई प्रमाणित इलाज उपलब्ध न हो पाने के कारण इस बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए 'सामाजिक दूरी', एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरी है और दुनिया भर में सरकारों द्वारा अलग-अलग स्तर के लॉकडाउन लागू किए जा रहे हैं. घर पर रहने के भयावह आदेशों के परिणामस्वरूप दोनों, विकसित एवं विकासशील देशों से अचानक घरेलू हिंसा की खबरों में एक बड़ा उछाल आया है. भारत में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2018) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1,03,272 महिलाओं ने "पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता" की शिकायत दर्ज कराई है, जो महिलाओं के खिलाफ सभी रिपोर्ट किए गए अपराधों की सबसे बड़ी श्रेणी है. राष्ट्रीय महिला आयोग को 23 मार्च से 10 अप्रैल के बीच ऐसे 123 'ईमेल' प्राप्त हुए हैं, जिससे घरेलू हिंसा की शिकायतों की तीव्र वृद्धि ज़ाहिर होती है.केरल और पंजाब जैसे राज्य सरकारों ने और महिला आयोगों ने भी इस खतरनाक प्रवृत्ति पर गौर किया है.23 मार्च से लेकर 16 अप्रैल के बीच क़रीब लॉकडाउन के शुरुआती तीन हफ़्ते में महिला आयोग में घरेलू हिंसा के 239 मामले दर्ज किए गए थे. यह उन 123 मामलों की तुलना में कहीं ज्यादा हैं जो लॉकडाउन शुरू होने से पहले उस महीने में आए थे. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में आयोग को घरेलू हिंसा से संबंधित 2,960 शिकायतें मिली थीं जबकि 2020 में 5,297 शिकायतें प्राप्त हुईं और यह सिलसिला अब भी बरकरार है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में आयोग को महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराध की कुल 19,730 शिकायतें मिलीं, जबकि 2020 में यह संख्या 23,722 पर पहुंच गई. राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2021 से 25 मार्च 2021 के बीच महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की 1,463 शिकायतें प्राप्त हुईं.ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ़ भारत में ही है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अप्रैल की शुरुआत में ही कहा था कि, "लॉकडाउन के दौरान दुनियाभर में घरेलू हिंसा के मामले में भयावह वृद्धि हुई है . "संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़, लेबनान और मलेशिया में हेल्पलाइन पर आने वाले कॉल्स की संख्या साल के इन्हीं महीनों में पिछले

साल की तुलना में दोगुनी हो गई है तो वहीं चीन में तीन गुनी हो गई है. भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक़ 2015-16 के दौरान 33 फ़ीसदी औरतों को किसी ना किसी रूप में अपने पति के हिंसा का शिकार होना पड़ा है फिर चाहे वो शारीरिक, यौनिक या फिर भावनात्मक स्तर पर हो. लेकिन इनमें से सिर्फ़ 14 फ़ीसदी औरतें ही मदद के लिए सामने आईं.

सामान्य समय में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कम रिपोर्टिंग की समस्या रहती है. सामाजिक कलंक के अलावा, इसका एक महत्वपूर्ण कारण अपराधी(यों) द्वारा बदला लिए जाने का डर भी है.लॉकडाउन के दौरान आवाजाही में बाधा होने के कारण माता-पिता के घर जैसे सुरक्षित स्थान पर जाने का विकल्प समाप्त हो जाता है, अत: इस दौरान घरेलू दुर्व्यवहार या हिंसाओं की कम रिपोर्टिंग की संभावना और भी बढ़ जाती है. दुर्व्यवहार करने वाले के साथ कैद हो जाने के कारण, फोन कॉल कर अपनी स्थिति के बारे में अधिकारियों, दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करना मुश्किल हो सकता है. भले कुछ महिलाएं मदद लेने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम हो सकती हैं, लेकिन अशिक्षित एवं गरीब महिलाओं के लिए, ऐसी परिस्थिति में, शिकायत को दर्ज करने की संभावना और धूमिल हो जाती है क्योंकि वे आमतौर पर इसके लिए डाक का इस्तेमाल करती थीं. लॉकडाउन की स्थिति न केवल मौजूदा पीड़ितों के साथ होने वाली हिंसा को बढ़ा सकती है, बल्कि नए पीड़ित भी बना सकती है. अचानक पूरे दिन घर में रहने की अप्राकृतिक स्थिति, हर दिन बिना आगंतुकों के, और सामान्य से अधिक खाली समय अपने आप में कई मनोवैज्ञानिक मुद्दों का कारण बन सकता है. इसके साथ, घातक वायरस का डर और काम एवं वित्तीय सुरक्षा के बारे में अनिश्चितता भी मौजूद रहती है. जैसे-जैसे हम सामाजिक क्रम के निचले स्तर की ओर जाते हैं, दैनिक वेतन के अभाव में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और नियमित आपूर्ति तक पहुंच से संबंधित तनाव भी नज़र आते हैं. घबराहट के इस समय में, ऐसी स्थितियों की भी कल्पना की जा सकती है जहां वायरस के संक्रमण का बहाना बना कर घर के भीतर किसी को अलग-थलग किया जाता है या किसी का बहिष्कार किया जाता है - जो भावनात्मक शोषण और मानसिक उत्पीड़न को गहरा करता है. संसदीय पैनल ने पाया है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा और ट्रैफिकिंग के मामलों में तेजी आई. अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है, "कमेटी नोट करती है कि अभूतपूर्व महामारी के प्रकोप के दौरान घरेलू हिंसा, महिलाओं और बच्चों की ट्रैफिकिंग में अचानक तेजी मुख्य रूप से लॉकडाउन के दौरान घर से काम, परिवारों के घरों पर ज्यादा वक्त बिताने और आर्थिक गतिविधियों में बाधा की वजह से था. " रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान महिला प्रवासी कामगारों और उनके बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई और उनके लापता होने के मामले सामने आए. वास्तव में, आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी को देखते हुए, नौकरियां खोने और व्यवसाय विफल हो जाने के कारण लॉकडाउन के बाद भी मानसिक तनाव से प्रेरित दुर्व्यवहार एवं हिंसा भारी मात्रा में जारी रहेगी. नौकरियां महिलाएं भी खोएँगी. वित्तीय स्वतंत्रता के इस नुकसान की कीमत, इनमे से कुछ महिलाओं को घर पर अपने सशक्त महसूस करने और सौदेबाजी की शक्ति खोकर चुकानी पड़ेगी . महिलाओं की कमजोर स्थिति उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों को और साहस दे सकती है. 2005-2016 की अवधि के लिए 31 विकासशील देशों के प्रतिनिधि आंकड़ों पर आधारित द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित, भालोत्रा एवं अन्य (2019) द्वारा किए गए, हाल ही के अध्ययन से पता चलता है कि पुरुष बेरोजगारी दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा की घटनाओं में 0.05 प्रतिशत अंक या 2.75 प्रतिशत तक वृद्धि से जुड़ी है.

कोविड-19 ने ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत किया है जिसमें घरेलू दुर्व्यवहार घटनाएं बढ़ी हैं, और पीड़ितों द्वारा रिपोर्ट करने और उनकी मदद करने में अधिक जटिलता आई है. घरेलू दुर्व्यवहार की समस्या का समाधान करने के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, साथ ही इन असाधारण परिस्थितियों के अनुरूप नए समाधानों पर विचार-विमर्श भी किया जाना चाहिए. जिन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जो उपाय किए जा सकते हैं उनकी व्यवहार्यता लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद की अवधि में अलग-अलग होगी. यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि ये उपाय शिक्षा के स्तर, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और इसे उपयोग करने की क्षमता

के स्तर पर प्रभावशाली हों. घरेलू हिंसा से निपटना, वर्तमान में, कोविड-19 संकट का समाधान करने के लिए विकसित की जा रहीं राष्ट्रीय प्रतिक्रिया योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए.नीति के उच्चतम स्तरों पर मुद्दे की स्वीकार्यता और प्राथमिकता दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को एक मजबूत संदेश दे सकती है और निवारक के रूप में कार्य कर सकती है.कई लोगों का मानना है कि वर्तमान संकट में प्रधान मंत्री के नेतृत्व ने प्रभावी भूमिका निभाई है; राष्ट्र के नाम उनके संबोधनों और प्रतीकात्मक पहलों को लाखों भारतीयों द्वारा सराहा गया है.घरेलू सद्भाव पर ध्यान केंद्रित करने से कई दुर्व्यवहार पीड़ितों को बचाया जा सकता है. फ्रांस में, पीड़ितों को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दवाई दुकानों में करने की सलाह दी गयी है, और यदि दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति साथ हो तो किसी कोड का उपयोग करने को कहा गया है. बाद में दवाई दुकान वाले पुलिस को सूचित करते हैं. भारत में लॉकडाउन के दौरान इसी प्रकार की प्रणाली स्थापित की जा सकती है, क्योंकि कुछ दवाई एवं किराने की दुकानों को प्रत्येक क्षेत्र में खुले रहने अनुमति दी गयी है और आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए थोड़ी दूरी पर चलना ज्यादातर स्थानों में स्वीकार्य है. स्थानीय अधिकारियों को मुखबिरों को आश्वस्त करना चाहिए कि उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा.इसके अलावा, महिलाओं द्वारा 'कर्फ्यू पास' (आवश्यक सेवाओं तथा आपातकालीन आवाजाही आदि का लाभ उठाने के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए जारी किया गया) के लिए किए गए आवेदनों पर अधिक उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए, ताकि यदि आवश्यक हो तो उनके लिए घरों से बाहर निकलना और मदद लेना संभव हो सके. कैनडा जैसे देश लिंग आधारित हिंसा के कारण घर से भागने वालों के आश्रयों में निवेश कर रहे हैं. संसाधनों को यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित किया जा रहा है कि आश्रयों में कोई भीड़भाड़ न हो और सामाजिक दूरी का अनुपालन किया जाए. जैसा कि भारत में कोरोना रोगियों के लिए क्वारंटीन वार्ड स्थापित करने हेतु होटल के कमरों तथा स्टेडियम जैसे स्थानों का उपयोग किया जा रहा है, दुर्व्यवहार पीड़ितों के लिए भी ऐसे आश्रय प्रदान करना उसी प्रयास का हिस्सा हो सकता है. स्थानीय एनजीओ उन मामलों पर नज़र रख सकते हैं जिनकी जानकारी उन्हें लॉकडाउन से पहले आए फोन कॉलों से थी, और दोस्तों एवं रिश्तेदारों को पीड़ितों के संपर्क में रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं.कुछ मामलों में पीड़ित और अपराधी के दूरस्थ परामर्श से मदद मिल सकती है. जहां संभव हो वहाँ ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से नए पीड़ितों की पहचान करने में मदद मिल सकती हैं. राज्य महिला आयोगों द्वारा ऐप और ईमेल-आधारित रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना, इस दिशा में, एक सरहनीय एवं स्वागत योग्य कदम है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान - विशेष रूप से वो जो एसएजजी (स्व-सहायता समूह) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.पहले से मौजूद खुद के समपारकों का लाभ उठाते हुए वे वित्तीय कठिनाई के इस समय में शिकायत केन्द्रों के साथ-साथ आजीविका समर्थन के प्रदाताओं के रूप में कार्य कर सकते हैं.इस तरह के सभी उपायों के लिए धन की आवश्यकता होती है, और कोई यह तर्क दे सकता है कि अभी पहले से ही राज्य के संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा है.साल-दर-साल, यह देखा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के लिए बजटीय आवंटनों का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है. अब तक फंड का ध्यान सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाते हैं पर रहा है, पर वर्तमान स्थिति घरेलू दुर्व्यवहार पीड़ितों की सहायता के लिए एक बड़े आवंटन की मांग कर रहा है. दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ बंद पीड़ितों की मदद करने के लिए ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए. त्वरित कार्रवाई की योजना बनाने और स्थानीय सरकारों, जमीनी स्तर के संगठनों एवं समुदायों द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक साथ समन्वित प्रयास किए जाने पर तत्काल ध्यान केंद्रित करना चाहिए. उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस द्वारा मास्क पहनी हुए एक महिला के स्केच के साथ इस संदेश विज्ञापन निकालना एक सराहनीय पहल है - "कोरोना को दबाएं, अपनी आवाज को नहीं".

निष्कर्ष : हम देखतें हैं कोविड के कारण सामाजिक स्तर पर एक भयावह स्थिति पैदा हुयी हैं। सामाजिक संबंधों का ताना बाना नष्ट हुआ हैं ,घर की स्वामिनी तनाव और आर्थिक संकट के कारण बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार हुयी हैं। जरुरत एक मजबूत मानसिक और सामाजिक सहयोग की हैं तभी घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता हैं।

संदर्भ :

1 https://www.ideasforindia.in/topics/कोविड-19: लॉकडाउन और घरेलू हिंसा - नलिनी गुलाटी (30 अप्रैल, 2020)

2 https://www.bbc.com/hindi/india-52894998 कोरोना संकट:घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए कितना दर्दनाक रहा लॉकडाउन? (4 जून 2020)

3 https:// https://www.amarujala.com/world/domestic-voilence

4 https:// https://hindi.thequint.com/ लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में आई तेजी: संसदीय पैनल (16 Mar 2021)

5 https://thewirehindi.com/लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों में हुई बढ़ोतरी बरक़रार: राष्ट्रीय महिला आयोग

6 https://www.jansatta.com